

## कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक/बैठक/2010/594

दिनांक : 11-6-2010

### कार्यकारी समिति की 8वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की कार्यकारी समिति (भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों पर चर्चा करने हेतु) की बैठक श्री रवि जैन, आई.ए.एस, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 21 मई, 2010 दोपहर 12:00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट-अ संलग्न है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: गलत बैठक कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

बैठक में सर्वप्रथम गत बैठक दिनांक 9 अप्रैल, 2010 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

प्रस्ताव संख्या 2 :: ग्राम बागा के खसरा संख्या 305/2 में 445.92 वर्ग गज भूमि का पहाड़ी क्षेत्र से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण। आवेदक श्री सहदेव वेडा पुत्र श्री नारायण राम वेडा (प्रकरण संख्या 72/2009)

श्री सहदेव वेडा ने ग्राम बागा के खसरा संख्या 305/2 में 445.92 वर्ग गज भूमि का पहाड़ी क्षेत्र से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में राजस्थान पत्रिका के अंक दिनांक 19 दिसम्बर, 2009 व दैनिक तद्व्योति उन्नाचार-पत्र के अंक दिनांक 12 दिसम्बर, 2009 में प्रकाशित करवायी गयी। निर्धारित समयवाधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

प्रकरण कार्यकारी समिति की विशेष बैठक दिनांक 7 मार्च, 2010 में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। जिसमें समिति द्वारा बाद विचार विमर्श निर्णय लिया गया कि, "मास्टर प्लान के अनुरूप सड़क के मध्य से 100 फीट छोड़ने के पश्चात् भूखण्ड का पर्याप्त आकार नहीं बचता है। सचिव, प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आवेदित भूमि के समीप स्वयं की भूमि स्थित है। अतः निर्धारित मार्गाधिकार छोड़कर भू-उपयोग परिवर्तन करने की कार्यवाही की जावे।

समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। उक्त क्षेत्र में बिखरे रूप में कई स्टोन कटिंग इकाईया संचालित हो रही हैं तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित सड़क मार्गाधिकार को छोड़कर भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी से संशोधित साईट प्लान प्राप्त किया जावे तथा सड़क के मार्गाधिकार में स्थित भूमि को समर्पित करते हुए आगामी बैठक में रखा जावे।"

समिति के उक्त निर्णय की पालना में प्रार्थी द्वारा भूमि समर्पण बाबत प्रार्थना-पत्र एवं 100/- रुपये के स्टाम्प पर नोटरी से तर्दीक सुदा समर्पणनामा प्रस्तुत किया।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवेदित भूमि पहाड़ी क्षेत्र/परिधि नियंत्रण पट्टी से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग

467  
157

परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया जिसमें प्रार्थी द्वारा भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार 200 फीट रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 100 फीट में आने वाली भूमि को निःशुल्क समर्पित किया जावेगा। आवेदित भूमि परिधि नियंत्रण प्रणाली में होने से राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 10 (35) तारीख 3/2010 दिनांक 16 अप्रैल, 2010 के क्रम में राज्य सरकार से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रकरण प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 3 : ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 93/1 की 5 बीघा भूमि का आवासीय से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन। आवेदक मैसर्स आर.सी. डायसीन सोसायटी ऑफ अजमेर (प्रकरण संख्या 78/2008)

मैसर्स आर.सी. डायसीन सोसायटी ऑफ अजमेर ने ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 93/1 की 5 बीघा भूमि का आवासीय से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने हेतु आवेदन किया।

आवेदित भूमि मौके पर रिक्त है जिस पर चार दीवारी निर्मित है। प्रकरण राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 3 सितम्बर, 2009 में भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही बैठक कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 5 में यह निर्देश प्रदान किये कि, प्रकरण में आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति एक समाचार पत्र में प्रकाशित की गई है जबकि नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक टीपीआर-III-8 जेड/1384 दिनांक 5 दिसम्बर, 2001 के अनुसार विज्ञप्ति दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जानी थी। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवेदित भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी करने से पूर्व आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति का एक अन्य दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि यदि निर्धारित समयवधि में कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो प्रकरण को पुनः समिति के समक्ष रखा जायेगा। उक्त पालना हेतु सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को निर्देशित किया गया।

प्रकरण में विज्ञप्ति जारी करने पर एक आपत्ति प्राप्त हुई है। आपत्तिकर्ता को सुनवाई का मौका दिया गया है। आपत्तिकर्ता ने उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति की। सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण ने बताया कि उनके द्वारा आवेदित भूमि एवं आपत्ति में वर्णित स्थल का मौका देखा गया है। भूमि के पश्चिमी भाग की ओर एक छोटा नाला निकलता है। जिसका प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर है। नाला आवेदित भूमि से पूर्व ही कई स्थानों पर बाधित है एवं आवेदित भूमि के स्थल पर निर्मित दीवार का कुछ भाग इस पर आता है। प्रकरण राज्य स्तरीय समिति के समक्ष निर्णय हेतु रखे जाने हेतु दिनांक 8 अप्रैल, 2010 को प्रेषित किया गया है परन्तु नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 16 अप्रैल, 2010 के अनुसार आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर से कम होने के कारण जिला स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति के क्षेत्राधिकार में आ जाता है। अतः प्रकरण निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। मौका अनुसार प्रार्थी द्वारा नाले के कुछ भाग पर चारदीवारी का निर्माण किया हुआ है। राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आवेदित भूखण्ड पर न्यूनतम 60 फीट चौड़ी सड़क का प्रावधान किया जाना आवश्यक है। मौके पर अभी 45 फीट चौड़ी सड़क हेतु ही भूमि उपलब्ध है। आवेदित भूमि के पीछे स्थित क्षेत्र में फुट्च एवं सरधान हेतु 60 फीट चौड़ी सड़क की सुनिश्चितता हेतु उक्त सड़क को दक्षिण से उत्तर की ओर प्रस्तावित करते हुए शेष भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया गया। मौके पर स्थित

नाला उक्त प्रस्तावित की गयी 60 फीट चौड़ी सड़क के पहुंच के सहारे सहारे पश्चिम की ओर स्थित रहेगा। जिससे प्राकृतिक बहाव बाधित नहीं हो।

**प्रस्ताव संख्या 4** लालसागर योजना में स्थित आवासगृह संख्या 164 (निर्मित आवास) क्षेत्रफल 37.16 वर्ग मीटर का आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ प्रकरण। आवेदक श्री राजेन्द्र प्रसाद माकड पुत्र श्री मोहन लाल (प्रकरण संख्या 113/2008)

श्री राजेन्द्र प्रसाद माकड पुत्र श्री मोहन लाल ने लालसागर योजना में स्थित आवासगृह संख्या 164 (निर्मित आवास) क्षेत्रफल 37.16 वर्ग मीटर का आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया।

प्रकरण में आवेदित भूमि के संबंध में आपत्ति आमंत्रित करने हेतु सूचना दैनिक भास्कर व दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक 29 अक्टूबर, 2009 में प्रकाशन किया गया। निर्धारित समयवाधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। संपुक्त भूको रिपोर्ट अनुसार माकड पर 20 फीट गुणा 40 फीट पर निर्माण कर रखा है तथा 20 फीट गुणा 10 फीट अग्रभाग में बाउण्ड्री वॉल का निर्माण किया गया है। उक्त आवासगृह किशोरबाग से लालसागर मुख्य सड़क पर स्थित है।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि प्रार्थी को आवासगृह रहवासीय प्रयोजनार्थ आवंटित किया गया था तथा उक्त आवासगृह का निर्माण भी आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्गों हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप किया गया है। अतः आवासगृह के स्थान पर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन नहीं किये जान का निर्णय लिया गया। संबंधित उपायुक्त मीके पर व्यवसायिक गतिविधियां होती है तो अविलम्ब बंद करवा दे।

**प्रस्ताव संख्या 5** ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 377 में स्थित 3281.26 वर्ग गज भूमि का सरकारी व अर्द्ध सरकारी (बस अड़डा) हेतु आरक्षित से शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण। आवेदिका श्रीमती विभा विश्णोई पत्नि श्री भैराराम विश्णोई (प्रकरण संख्या 26/2009)

श्रीमती विभा विश्णोई ने आवेदन-पत्र ने ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 377 में स्थित 3281.26 वर्ग गज भूमि का सरकारी व अर्द्ध सरकारी (बस अड़डा) से शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूमि का भाग प्रस्तावित 200 फीट नागौर - जयपुर बाईपास सड़क एवं मास्टर प्लान में अंकित आरक्षित बस स्टेण्ड हेतु आरक्षित भूमि पर स्थित है।

आवेदित भू उपयोग परिवर्तन के संबंध में एक समाचार-पत्र दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक 15 अक्टूबर, 2009 में सूचना को प्रकाशन करवाया गया। निर्धारित समयवाधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। वरिष्ठ नगर नियोजक की राय के अनुसार आवेदित भूमि मास्टर प्लान में प्रस्तावित बस स्टेण्ड के दक्षिणी भाग में स्थित है। आवेदित भूमि के दक्षिणी भाग नागौर बाईपास सड़क स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 200 फीट रखा गया है। उक्त सड़क के मध्य से 100 फीट भूमि मार्गाधिकार हेतु छोड़ने के पश्चात् पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं रहती है। साथ ही बची हुई शेष भूमि प्रस्तावित बस स्टेण्ड में सम्मिलित है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही जारी परिपत्र दिनांक 16-4-2010 के द्वारा इस प्रकार के भू-उपयोग परिवर्तन पर रोक है। राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद ही कार्यवाही संभव है।

आवेदित भूमि के समीप ही स्थित आवेदिका के स्वामित्व की ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 377 में 1408.16 वर्ग गज भूमि का प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 17 जुलाई, 2009 में प्रस्तुत किया गया। जिसमें आवेदित भूमि सड़क के मार्गाधिकार एवं बस स्टेण्ड में आरक्षित है। उक्त प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों के मददेनजर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी परिपत्र क्रमांक प. 10 (35) नविवि/3/2010 दिनांक 16 अप्रैल, 2010 द्वारा उक्त रूपान्तरण अंकित भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर रोक लगायी गयी है। समिति द्वारा उक्त प्रकरण पर पुनः विचार विमर्श कर प्रकरण समस्त तथ्यों के साथ राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 377 में स्थित 1408.16 वर्ग गज भूमि का सरकारी व अर्द्ध सरकारी (बस अंडडा) से शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ भू-उपयोग प्रकरण। आवेदिका श्रीमती विभा विश्नोई पत्नि श्री मेराराम विश्नोई (प्रकरण संख्या 31/2008)

श्रीमती विभा विश्नोई ने आवेदन-पत्र ने ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 377 में स्थित 1408.16 वर्ग गज भूमि का सरकारी व अर्द्ध सरकारी (बस अंडडा) से शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूमि का भाग प्रस्तावित 200 फीट नागौर - जयपुर बाईपास सड़क एवं मास्टर प्लान में अंकित आरक्षित बस स्टेण्ड की भूमि पर स्थित है।

आवेदित भू उपयोग परिवर्तन के संबंध में एक समाचार पत्र दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक 24 जुलाई, 2008 में सूचना का प्रकाशन करवाया गया। निर्धारित समयबधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। वरिष्ठ नगर नियोजक की राय के अनुसार आवेदित भूमि मास्टर प्लान में प्रस्तावित बस स्टेण्ड के दक्षिणी भाग में स्थित है। आवेदित भूमि के दक्षिणी भाग में आवेदित सड़क के मार्गाधिकार के अंतर्गत 200 फीट सड़क स्थित है। उक्त सड़क के मध्य से 100 फीट भूमि मार्गाधिकार हेतु छोड़ने के पश्चात् पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं रहती है। साथ ही बची हुई शेष भूमि मास्टर प्लान में प्रस्तावित बस स्टेण्ड में सम्मिलित है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही जारी परिपत्र दिनांक 16-4-2010 के द्वारा इस प्रकार के भू-उपयोग परिवर्तन पर रोक है। राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद ही कार्यवाही संभव है।

आवेदित भूमि प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 17 जुलाई, 2009 में प्रस्तुत किया गया। जिसमें आवेदित भूमि सड़क के मार्गाधिकार एवं बस स्टेण्ड में आरक्षित है। उक्त प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों के मददेनजर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी परिपत्र क्रमांक प. 10 (35) नविवि/3/2010 दिनांक 16 अप्रैल, 2010 द्वारा उक्त रूपान्तरण अंकित भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर रोक लगायी गयी है। समिति द्वारा उक्त प्रकरण पर पुनः विचार विमर्श कर प्रकरण समस्त तथ्यों के साथ राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 377 में स्थित 3278.33 वर्ग गज भूमि का सरकारी व अर्द्ध सरकारी (बस अंडडा) से शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण। आवेदिका श्रीमती बाला विश्नोई पत्नि श्री प्रेमराम (प्रकरण संख्या 27/2009)

श्रीमती बाला विशनोई पत्नि श्री प्रेमराम ने ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 377 में स्थित 3278.33 वर्ग गज भूमि का सरकारी व अर्द्ध सरकारी (बस अड्डा) से शिक्षण-संस्थान प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूमि का भाग प्रस्तावित 200 फीट नागीर - जयपुर बाईपास सड़क एवं मास्टर प्लान में अंकित आरक्षित बस स्टेण्ड की भूमि पर स्थित है।

आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में एक समाचार-पत्र दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक 16 अक्टूबर, 2009 में सूचना का प्रकाशन करवाया गया। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। वरिष्ठ नगर नियोजक की राय के अनुसार आवेदित भूमि मास्टर प्लान में प्रस्तावित बस स्टेण्ड के दक्षिणी भाग में स्थित है। आवेदित भूमि के दक्षिणी भाग नागीर बाईपास सड़क स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 200 फीट रखा गया है। उक्त सड़क के मध्य से 100 फीट भूमि मार्गाधिकार हेतु छोड़ने के पश्चात् पर्याप्त भूमि उपलब्ध ही रहती है। साभू ही बची हुई शेष भूमि प्रस्तावित बस स्टेण्ड में शामिल है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही जारी परिपत्र दिनांक 16-4-2010 के द्वारा इस प्रकार के भू-उपयोग परिवर्तन पर रोक है। राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद ही कार्यवाही संभव है।

आवेदित भूमि के समीप ही स्थित ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 377 में 1408.16 वर्ग गज भूमि का प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 17 जुलाई, 2009 में प्रस्तुत किया गया। जिसमें आवेदित भूमि सड़क के मार्गाधिकार एवं बस स्टेण्ड में आरक्षित है। उक्त प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों के मद्देनजर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी परिपत्र क्रमांक प. 10 (35) नविवि/3/2010 दिनांक 16 अप्रैल, 2010 द्वारा उक्त रूपान्तरण अंकित भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर रोक लगायी गयी है। समिति द्वारा उक्त प्रकरण पर पुनः विचार विमर्श कर प्रकरण समस्त तथ्यों के साथ राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: ग्राम पूंजला के खसरा संख्या 253/1 में भूखण्ड संख्या 10 क्षेत्रफल 125 वर्ग गज भूमि का स्कूल व खेल मैदान से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण। आवेदक श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री बालूराम (प्रकरण संख्या 33/2008)

श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री बालूराम ने ग्राम पूंजला के खसरा संख्या 253/1 में भूखण्ड संख्या 10 क्षेत्रफल 125 वर्ग गज भूमि का स्कूल व खेल मैदान से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है।

आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति आमंत्रित करने हेतु दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक 12 जुलाई, 2008 के अंक में सूचना का प्रकाशन करवाया गया। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। प्रकरण में वरिष्ठ नगर नियोजक से तकनीकी राय चाहे जाने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि भूखण्ड के सामने 25 फीट सड़क उपलब्ध है तथा मौके पर भूखण्ड रिक्त है। आवेदित प्रकरणों की भूमि का मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुसार भू-उपयोग स्कूल, पार्क एवं ओपन स्पेस के अन्तर्गत दर्शाया गया है। उक्त क्षेत्र मुख्यतः रिक्त है। अतः उक्त सेक्टर को मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुसार विकसित करने हेतु कार्यालय पत्रांक जेडीजेड 1628 जेपीआर दिनांक 13 मार्च, 2008 द्वारा सुझाव प्रेषित किया गया है। जिसमें उक्त क्षेत्र का सर्वेक्षण करवाकर एक योजना बनाने का सुझाव दिया गया था। उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण समिति के समक्ष रखा जाना उचित होगा। उक्त क्षेत्र की एक योजना बनायी जाने में संभव है।

151  
161

निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। इस क्षेत्र में अन्य प्रकरण प्राप्त होने पर उनका भी भू-उपयोग परिवर्तन नहीं कराने का निर्णय लिया गया है। मास्टर प्लान में अंकित स्कूल व खेल मैदान की भूमियों पर भू-उपयोग परिवर्तन राज्य सरकार की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार उक्त भूमि ओपन स्पेस स्कूल हेतु आरक्षित भूमि में स्थित है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी परिपत्र क्रमांक प 10 (35) नविनि/3/2010 दिनांक 16 अप्रैल, 2010 के अनुसार इस प्रकार के भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर रोक लगायी गयी है। उक्त क्षेत्र में पूर्व में प्राप्त अन्य प्रकरणों में भी भू-उपयोग परिवर्तन नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः भूमि/भूखण्ड का भू-उपयोग परिवर्तन नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: ग्राम पूंजला के खसरा संख्या 249 में स्थित भूखण्ड संख्या 136 व 137 कुल क्षेत्रफल 333.33 वर्ग गज भूमि का स्कूल व खेल मैदान से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण। आवेदक श्री नारायण राम पुत्र श्री दौलाराम (प्रकरण संख्या 32/2008)

श्री नारायण राम पुत्र श्री दौलाराम ने ग्राम पूंजला के खसरा संख्या 249 में स्थित भूखण्ड संख्या 136 व 137 कुल क्षेत्रफल 333.33 वर्ग गज भूमि का स्कूल व खेल मैदान से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है।

आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति आर्म्भित करने हेतु दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक 12 जुलाई, 2008 में प्रकाशन करवाया गया है। निर्धारित समयवाधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। मौके पर भूखण्ड रिक्त है। प्रकरण पर परिष्कृत नगर नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदित प्रकरण की भूमि का मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उक्त क्षेत्र मुख्यतः रिक्त है। अतः उक्त सेक्टर को मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुसार विकसित करने हेतु कार्यालय पत्रांक जेडीजेड 1628 जेपीआर दिनांक 13 मार्च, 2008 द्वारा सुझाव प्रेषित किया गया है। जिसमें उक्त क्षेत्र का सर्वेक्षण करवाकर एक योजना बनाने का सुझाव दिया गया था। उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण समिति के समक्ष रखा जाना उचित होगा। उक्त क्षेत्र की एक योजना बनायी जाने के संबंध में निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। इस क्षेत्र में अन्य प्रकरण प्राप्त होने पर उनका भी भू-उपयोग परिवर्तन नहीं कराने का निर्णय लिया गया है। मास्टर प्लान में अंकित स्कूल व खेल मैदान की भूमियों पर भू-उपयोग परिवर्तन राज्य सरकार की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है।

समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार उक्त भूमि ओपन स्पेस स्कूल हेतु आरक्षित भूमि में स्थित है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी परिपत्र क्रमांक प 10 (35) नविनि/3/2010 दिनांक 16 अप्रैल, 2010 के अनुसार इस प्रकार के भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर रोक लगायी गयी है। उक्त क्षेत्र में पूर्व में प्राप्त अन्य प्रकरणों में भी भू-उपयोग परिवर्तन नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः भूमि/भूखण्ड का भू-उपयोग परिवर्तन नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया।

152  
102

प्रस्ताव संख्या 10 : ग्राम घोखा के खसरा संख्या 616/1 में भूखण्ड संख्या 13-ए क्षेत्रफल 796.2 वर्ग गज भूमि का परिधि नियंत्रण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण। आवेदक श्री ओमसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री गजराज (प्रकरण संख्या 93/2008)

श्री ओमसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री गजराज ने ग्राम घोखा के खसरा संख्या 616/1 में भूखण्ड संख्या 13-ए क्षेत्रफल 796.2 वर्ग गज भूमि का परिधि नियंत्रण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है।

आवेदित भूमि मोकें पर रिक्त है तथा भूखण्ड के सामने 40 फीट की सड़क है। आवेदित भू-उपयोग के संबंध में आपत्ति आमंत्रित करने हेतु दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक 4 जनवरी, 2009 में सूचना का प्रकाशन करवाया गया। निर्धारित समयवाधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

प्रकरण भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में निर्णय हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति ने बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आवेदित भूखण्ड बाईपास सड़क पर स्थित होकर परिधि नियंत्रण पट्टी में है। उक्त आराजी भूमि का एक ही भूखण्ड आवेदित किया गया है। अतः उक्त आराजी की भूमि का संपूर्ण ले-आऊट प्लान प्राप्त कर उक्त क्षेत्र में हुए विकास/निर्माणों के मददेनजर प्रकरण का विस्तृत परीक्षण करवाया जाकर समिति की आगामी बैठक में रखा जावे। जिसमें फंसिलिटी एरिया एवं सड़क प्रतिरूप का भी निर्धारण कर दिया जावे ताकि अन्य प्रकरणों में उसी अनुरूप निर्णय लिया जा सके।

प्रस्ताव संख्या 11 : ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 652/1 की 2690 वर्ग गज भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण। आवेदिका श्रीमती रितु देवडा पत्नि श्री राजेन्द्र कुमार (प्रकरण संख्या 93/2008)

श्रीमती रितु देवडा पत्नि श्री राजेन्द्र कुमार ने ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 652/1 की 2690 वर्ग गज भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है।

आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति आमंत्रित करने हेतु राजस्थान पत्रिका व दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक 13 नवम्बर, 2009 में प्रकाशन करवाया गया। निर्धारित समयवाधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। मोकें पर होटल निर्माणाधीन है। यह होटल बाईपास रोड के पास ही स्थित है। वर्तमान में होटल को जोड़ने वाली सड़क 15 फीट चौड़ी है। मोकें पर लगभग 274 फीट लम्बाई व 87 चौड़ाई व 70 फीट ऊँचाई का निर्माण कर रखा है।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत तथा की साथ प्रस्तुत किया गया। समिति ने बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि मोकें रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि पर पर्याप्त चौड़ाई की सड़क उपलब्ध नहीं होती है। राज्य सरकार के परिचय क्रमांक प 10 (35) नविवि/3/2010 दिनांक 16 अप्रैल, 2010 के अनुसार होटल (वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ न्यूनतम 60 फीट चौड़ी सड़क होनी अपेक्षित है। अतः प्रार्थीया द्वारा उक्त आवेदित भूमि पर 60 फीट चौड़ी सड़क किस प्रकार से उपलब्ध करवायी जावेगी इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जावे। साथ ही मोकें पर हुए निर्माण की विस्तृत जानकारी आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावे। मोकें पर निर्माण बिना किसी की अनुमति से किया गया है। भू-उपयोग परिवर्तन नहीं किया जावे।

153  
163

प्रस्ताव संख्या 12 :: सरस्वती नगर स्थित भूखण्ड संख्या 335 सेक्टर ए के 83 वर्ग गज भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण। आवेदक श्रीमती मंजू गोयल पत्नि श्री जगदीश (प्रकरण संख्या 54/2009)

श्रीमती मंजू गोयल पत्नि श्री जगदीश ने सरस्वती नगर स्थित भूखण्ड संख्या 335 सेक्टर ए के 83 वर्ग गज भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है।

भूखण्ड प्राधिकरण की सरस्वती नगर में स्थित है। आवेदित भू-भाग के सामने 60 फीट सड़क उपलब्ध है। आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति आमंत्रित करने हेतु सूचना का प्रकाशन दैनिक भास्कर व दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक 24 मार्च, 2010 में करवाया गया। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। उप नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूखण्ड डिस्ट्रीक्ट सेंटर के पीछे वाली सड़क पर कॉर्नर का भूखण्ड है। उक्त भूखण्ड के आसपास के क्षेत्र में आवासीय भवन निर्मित हैं। कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार अस्पताल व व्यवसायिक गतिविधियां विद्यमान व संचालित हैं। उपरोक्त साईट कण्डीशन के परिपेक्ष्य में प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रकरण समस्त तथ्यों के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आवेदित भूमि न्यास की सरस्वती नगर योजना में डिस्ट्रीक्ट शोपिंग सेंटर योजना के समीप स्थित है। मौके पर आवेदक द्वारा भवन का निर्माण कर दिया गया है। इस भस्म पर नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता बताते हुए प्रकरण को अगली बैठक में रखने का निर्णय किया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 :: सरस्वती नगर स्थित भूखण्ड संख्या 214 सेक्टर बी में 78.77 वर्ग गज भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण। आवेदक श्री अयूब पुत्र श्री समसुद्दीन (प्रकरण संख्या 163/2006)

श्री अयूब पुत्र श्री समसुद्दीन ने सरस्वती नगर स्थित भूखण्ड संख्या 214 सेक्टर बी में 78.77 वर्ग गज भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है।

भूखण्ड प्राधिकरण की सरस्वती नगर में स्थित है। आवेदित भू-भाग के सामने 60 फीट सड़क उपलब्ध है। आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति आमंत्रित करने हेतु सूचना का प्रकाशन एक समाचार-पत्र यथा दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक 24 अक्टूबर, 2008 में करवाया गया। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। उप नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार साईट प्लान जो कि तत्कालीन न्यास द्वारा जारी किया गया था जिसमें एक तरफ सड़क व दूसरी तरफ 17 फीट न्यास भूमि के उसके उपरान्त सड़क है। प्राथी द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार अग्र सड़क व न्यास भूमि की तरफ दुकानें निर्मित कर ली हैं।

प्रकरण पूर्व में भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 17 जुलाई, 2009 के निर्णय के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की आवासीय योजना में पहले से ही वाणिज्यिक स्थल आरक्षित कर रखे हैं। अतः प्रकरण अस्वीकृत किया गया।

प्रकरण समस्त तथ्यों के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति ने



154  
164

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा भूखण्ड के फन्ट सेट बैंक में निर्माण कर लिया गया है जो अवैधानिक है। आवेदित भूखण्ड योजना क्षेत्र में स्थित होने तथा योजना में पर्याप्त शॉपिंग सेंटर हेतु भूमि आरक्षित होने के सदरदेगजर भू-उपयोग परिवर्तन नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही संबंधित उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि वे मौके पर निर्मित की गई दुकानों के अतिक्रमण/अवैधानिक निर्माण होने से हटाने की कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 14 :: भगत की कोठी विस्तार योजना के भूखण्ड संख्या 90-ए के 358.05 वर्ग गज भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण। आवेदक श्री राजकुमार पुत्र श्री पन्नालाल (प्रकरण संख्या 97/2008)

श्री राजकुमार पुत्र श्री पन्नालाल ने भगत की कोठी विस्तार योजना के भूखण्ड संख्या 90-ए के 358.05 वर्ग गज भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया।

आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति आमंत्रित करने हेतु एक समाचार-पत्र यथा दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक 8 जनवरी, 2009 में सूचना का प्रकाशन करवाया गया। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। मौके पर चार दीवारी बनी हुई है। संयुक्त मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड पाली रोड पर बासनी बिज के पास स्थित है। मुख्य सड़क पर होने से वाणिज्यिक उपयोग में कोई आपत्ति नहीं है किन्तु भूखण्ड के आशिक भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में निर्णय लिया जाना है।

प्रकरण समस्त तथ्यों के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति ने बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि प्रार्थी द्वारा आधे भूखण्ड का ही भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है जो तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में भूखण्डों के उप विभाजन के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 10 जनवरी, 2010 के परिपत्र के प्रकरण पर भीक्षण किया जाकर अलग से बंद में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 15 :: ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 57 में भूखण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 672.22 वर्ग गज भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण। आवेदक श्री भैरूलाल पोटर पुत्र स्व. श्री भैरूलाल (प्रकरण संख्या 30/2010)

श्री भैरूलाल पोटर पुत्र श्री भैरूलाल ने ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 57 में भूखण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 672.22 वर्ग गज भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है।

आवेदित भूमि का लीज डीड नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा जारी। आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति आमंत्रित करने हेतु दो समाचार-पत्र यथा राजस्थान पत्रिका व दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक 19 अप्रैल, 2010 में सूचना का प्रकाशन करवाया गया। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

उपायुक्त-पश्चिम, सहायक नगर नियोजक एवं अधिशाही अभियन्ता-पश्चिम की संयुक्त मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम चौपासनी जापीर के खसरा संख्या 57 में प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि का संयुक्त रूप से भीका देखा गया। भूमि जैसलमेर बाईपास पर स्थित है। प्रार्थी ने भूमि में 2 दुकानों का निर्माण कर रखा है तथा वर्तमान में ढाबा चल रहा है। दुकानों के मीछे ट्रक की वर्कशॉप है। इस प्रकार प्रार्थी ने भूमि का वाणिज्यिक प्रयोग कर

155  
16

रखा है। पार्थी ने 100 फीट मार्गाधिकार व 75 फीट प्लानटेशन पर एक पानी का हौद, प्याऊ, टॉयलेट बना रखे है। मास्टर प्लान के अनुसार 200 फीट है। सड़क के मध्य से 100 फीट का मार्गाधिकार छोड़कर उससे आगे 75 फीट प्लानटेशन हेतु आरक्षित भूमि छोड़ते हुए प्रचलित नियमों का पालन करते हुए भू-उपयोग परिवर्तन हेतु जान की अभिशंका की जाती है।

प्रकरण समस्त तथ्यों के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में सलग्न पट्टा विलेख/साइट प्लान के अनुसार सेट बैक का निर्धारण किया गया है। पार्थी द्वारा सेट बैक में दुकानों का निर्माण कर लिया गया है जो अवैधानिक रूप से है। पार्थी ने भूमि में 2 दुकानों का निर्माण कर रखा है तथा वर्तमान में ढाबा चल रहा है। पार्थी ने 100 फीट मार्गाधिकार व 75 फीट प्लानटेशन पर एक पानी का हौद, प्याऊ, टॉयलेट बना रखे है। जो अतिक्रमण के रूप में है। आवेदित भूमि बाईपास सड़क पर स्थित है। अतः पार्थी उक्त भूखण्ड का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन मोक़े पर हुए अतिक्रमण निर्माण को हटाने की सूचना प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण का पुनः परीक्षण करवाया जाकर जागीर कार्यवाही की जा सके। पार्थी से एक शपथ-पत्र यह भी प्राप्त किया जावे कि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन के पश्चात् भूखण्ड पर किये गये वाले निर्माण के समय सेट बैक छोड़कर ही निर्माण किया जावेगा तथा भवन मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत कराने के उपरान्त ही निर्माण करवाया जावेगा। समस्त कार्यवाही की रिपोर्ट के साथ प्रकरण अगली बैठक में रखा जावे।

प्रस्ताव संख्या 16 :: ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 57 में भूखण्ड संख्या 2-ए क्षेत्रफल 672.22 वर्ग गज भूमि का आवेदन सं. वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण। आवेदक श्री हरीराम पुत्र स्व. श्री भैरूलाल (प्रकरण संख्या 31/2010)

श्री हरीराम पुत्र श्री भैरूलाल ने ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 57 में भूखण्ड संख्या 2-ए क्षेत्रफल 672.22 वर्ग गज भूमि का आवेदन सं. वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है।

आवेदित भूमि का लीज डीड नगर विकास न्यास जोधपुर द्वारा जारी। आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति आमंत्रित करने हेतु दो समाचार-पत्र तथा राजस्थान पत्रिका व दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक 19 अप्रैल, 2010 में सूचना का प्रकाशन करवाया गया। निर्धारित समयवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

उपायुक्त-पश्चिम, सहायक नगर नियोजक एवं अधिशाषी अभियन्ता-पश्चिम की संयुक्त मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा संख्या 57 में पार्थी द्वारा आवेदित भूमि का संयुक्त रूप से मौका देखा गया। भूमि जैसलमेर बाईपास पर स्थित है। पार्थी ने भूमि में 2 दुकानों का निर्माण कर रखा है। दुकानों के पीछे ट्रक की बर्कशॉप है। पार्थी द्वारा 75 फीट वृक्षारोपण पट्टी में कमरे का निर्माण कर रखा है। इस प्रकार पार्थी ने भूमि का वाणिज्यिक प्रयोग कर रखा है। मास्टर प्लान के अनुसार 200 फीट है। सड़क के मध्य से 100 फीट का मार्गाधिकार छोड़कर उससे आगे 75 फीट प्लानटेशन हेतु आरक्षित भूमि छोड़ते हुए प्रचलित नियमों का पालन करते हुए भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की अभिशंका की जाती है।

प्रकरण समस्त तथ्यों के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में सलग्न पट्टा विलेख/साइट प्लान के अनुसार सेट बैक का निर्धारण किया गया है। पार्थी ने भूमि में 2 दुकानों का निर्माण कर रखा है। दुकानों के पीछे ट्रक की बर्कशॉप है। इस प्रकार पार्थी ने भूमि का वाणिज्यिक

156

166

प्रयोग कर रखा है। आवेदित भूमि वाईपास सड़क पर स्थित है। जहां प्राथी जवाब भूखण्ड का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन मौके पर हुए अतिक्रमित निर्माण को हटाने की सूचना प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण का पुनः परीक्षण करवाया जाकर आवासीय कार्यवाही की जा सके। प्राथी से एक संपथ-पत्र यह भी प्राप्त किया जावे कि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन के पश्चात् भूखण्ड पर किये गये वाले निर्माण के समय सैट बेक छोड़कर ही निर्माण किया जावेगा तथा भवन मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत कराने के उपरान्त ही निर्माण करवाया जावेगा। समस्त कार्यवाही की रिपोर्ट के साथ प्रकरण अगली बैठक में रखा जावे।

प्रस्ताव संख्या 17 :: भूखण्ड संख्या 136-बी सेक्टर ए सरस्वती नगर योजना क्षेत्रफल 333.33 वर्ग गज भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण। आवेदक श्री सोहनदास तत्ववेदी व श्रीमती गीता तत्ववेदी (प्रकरण संख्या 11/2010)

श्री सोहनदास तत्ववेदी व श्रीमती गीता तत्ववेदी ने भूखण्ड संख्या 136-बी सेक्टर ए सरस्वती नगर योजना क्षेत्रफल 333.33 वर्ग गज भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया।

मौके पर व्यवसायिक निर्माण है तथा नेशनल हैण्डलूम संचालित है। भूखण्ड के सामने मुख्य सड़क स्थित है। आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्तियां दो समाचार-पत्र यथा दैनिक भास्कर एवं दैनिक नवज्याति के एक दिनांक 2 अप्रैल 2010 में प्रकाशन करवाया गया। निर्धारित समयवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

उपायुक्त-दक्षिण, उप नगर नियोजक एवं अधिशाषी अभियन्ता-दक्षिण की समुक्त मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड सरस्वती नगर आवासीय योजना का एक भूखण्ड है जिसका क्षेत्रफल 600 वर्ग गज था। उक्त भूखण्ड का नियमानुसार उप विभाजन किया हुआ है। पूर्व भाग 30 फीट चौड़ाई एवं 80 फीट लंबाई का 2400 वर्ग फीट (2400) भाग है। "बी" भाग में आवेदक आवासीय से व्यवसायिक भू-उपयोग परिवर्तन कराना चाहता है। आवेदित भूखण्ड के उत्तर में 40 फीट चौड़ी सड़क एवं पश्चिम में 80 फीट चौड़ी सड़क उपलब्ध होती है। आवेदित भूखण्ड निर्मित है उसमें व्यवसायिक गांवघर संचालित है (नेशनल हैण्डलूम) भूखण्ड के दक्षिण में बैंक संचालित है। पश्चिम में 80 फीट सड़क, सड़क के पश्चात् औद्योगिक इकाई संचालित है। प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन की अनुशांषा कर निर्णय हेतु समिति के समक्ष रखा जा सकता है।

प्रकरण समस्त तथ्यों के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आवेदित भूमि न्यास की सरस्वती नगर योजना में डिस्ट्रीक्ट शोपिंग सेंटर योजना के समीप स्थित है। मौके पर आवेदक द्वारा भवन का निर्माण कर दिया गया है। इस भसले पर नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता बताते हुए प्रकरण को अगली बैठक में रखने का निर्णय किया गया।

प्रस्ताव संख्या 18 :: ग्राम बागा के खसरा संख्या 306 में 3979.65 वर्ग मीटर भूमि का वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण। आवेदक श्री आनन्द पुत्र श्री बदीनारायण एवं श्रीमती मनीला पत्नि श्री आनन्द (प्रकरण संख्या 78/2009)

श्री आनन्द पुत्र श्री बदीनारायण एवं श्रीमती मनीला पत्नि श्री आनन्द ने ग्राम बागा के खसरा संख्या 306 में 3979.65 वर्ग मीटर भूमि का वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है।

आवेदित स्थल कालीबेरी दईजर रोड पर अवस्थित है। आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु दैनिक भास्कर व दैनिक नवज्योति समाचार पत्र के एक दिनांक 20 मार्च 2010 में सूचना का प्रकाशन कराया गया। निर्धारित समयवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड ग्राम बागा की जमाबंदी सन् 2058 से 2061 के खाता संख्या 396 के अंकनानुसार प्राथीयान की ग्राम बागा के खाता संख्या 306 में 6.07 बीघा कृषि भूमि की खातेदारी दर्ज है। उक्त कृषि भूमि में से प्राथीयान द्वारा 3976.65 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में पेट्रोल पम्प लगाने बाबत व्यवसायिक भू-परिवर्तन बाबत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। मौका अनुसार प्राथीयान द्वारा प्रस्तावित 3976.65 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल कालीबेरी से दईजर सड़क के केन्द्र बिन्दु से 24.39 मीटर सड़क साईडवेक छोड़ते हुए पत्रावली के साथ संलग्न प्रस्तावित भूमि का साईट प्लान पेश किया है। उक्त भूखण्ड का कृषि भूमि से व्यवसायिक भू-परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है।

उप्रायुक्त- पश्चिम, सहायक नगर नियोजक एवं अधिशाषी अभियन्ता पश्चिम की संयुक्त मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम बागा के खसरा संख्या 306 का मौका पेशा गया। प्राथीगण के नाम दर्ज भूमि में से भू-उपयोग परिवर्तन चाही गई 3979.65 वर्ग मीटर भूमि मौके पर रिक्त है एक कमरा बना हुआ है। मास्टर प्लान के अनुसार मार्गाधिकार छोड़ते हुए पेट्रोल पम्प के लिए भू-उपयोग परिवर्तन हेतु उपयुक्त है। पंचलित नियमों का पालन करते हुए भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशप्ता की जाती है।

प्रकरण समस्त तथ्यों के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में विचार विमर्श किया गया। आवेदित भूमि ग्राम बागा में सरसागर - कालीबेरी मुख्य सड़क पर स्थित है। उक्त सड़क का मार्गाधिकार 200 फीट रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 100 फीट भूमि छोड़ी जानी आवश्यक है। प्राथी पत्र पर्याप्त सड़क का मार्गाधिकार नहीं छोड़ा गया है। उक्त क्षेत्र में पूर्व में एक अन्य प्रकरण में पेट्रोल पम्प लगाने के लिए भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया है। जय MORTH द्वारा निर्धारित गाईड लाईन अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं सड़क के मध्य से 100 फीट भूमि छोड़ी जाने की शर्त पर राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी परिपत्र दिनांक 16 अप्रैल, 2010 के क्रम में स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 19 :: ग्राम पाल के खसरा संख्या 292/1 में 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि का रहवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण। आवेदक मैसर्स राज इन्टरनेशनल जरिये मागीदार श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री मांगीलाल जैन व श्रीमती जया जीरावला पत्नि श्री मुकेश कुमार श्री आनन्द पुत्र श्री बदी नारायण (प्रकरण संख्या 47/2010)

मैसर्स राज इन्टरनेशनल जरिये मागीदार श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री मांगीलाल जैन व श्रीमती जया जीरावला पत्नि श्री मुकेश कुमार श्री आनन्द पुत्र श्री बदी नारायण ने राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 292/1 में 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि का रहवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है।

भूखण्ड के सामने 50 फीट सड़क है तथा मौके पर चार दीवारी निर्मित है। आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति आमंत्रित करने हेतु सूचना का प्रकाशन दो समाचार-पत्र यथा दैनिक भास्कर व दैनिक नवज्योति के एक दिनांक 20 मई 2010 में करवाया गया है। निर्धारित समयवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

158

168

मौके पर भूमि रिक्त है। पार्थी द्वारा 50 फीट चौड़ी सड़क का प्रावधान रखा है जिसको 60 फीट किया जाकर आवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही अपेक्षित है। संयुक्त मांका रिपोर्ट अनुसार आसपास आवासीय इकाईयां चालू हैं। औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन में आपत्ति नहीं है। भूमि की तरमीम नहीं है।

समस्त तथ्यों के साथ प्रकरण समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि मौके पर उक्त क्षेत्र में कोई औद्योगिक इकाईयां संचालित हैं तथा आवेदित भूमि के सामने 50 फीट चौड़ी सड़क स्थित है। मौके पर आवेदित भूमि रिक्त है। आवेदित भूखण्ड के आसपास औद्योगिक भूखण्ड/इकाईयां संचालित हैं। समिति द्वारा विचार विमर्श कर मौके पर स्थित 50 फीट सड़क को न्यूनतम 60 फीट रखते हुए भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया गया। सड़क के मार्गाधिकार में सम्मिलित की जाने वाली भूमि का किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा। उक्त क्षेत्र में संचालित अन्य औद्योगिक इकाईयां के भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति की जानकारी की जावे।

प्रस्ताव संख्या 20 ... ग्राम पाल के खसरा संख्या 292/1 में 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि का रहवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण। आवेदक मैसर्स रजत इण्डस्ट्रीज जरिये भागीदार श्री गौतम एम. जीरावला पुत्र श्री मांगी लाल एव श्रीमती चन्द्रा जी जीरावला (प्रकरण संख्या 48/2010)

मैसर्स रजत इण्डस्ट्रीज जरिये भागीदार श्री गौतम एम. जीरावला पुत्र श्री मांगी लाल एवं श्रीमती चन्द्रा जी. जीरावला ने राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 292/1 में 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि का रहवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है।

भूखण्ड के सामने 50 फीट सड़क है तथा मौके पर चार दीवारी निर्मित है। आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति आमंत्रित करने हेतु सूचना का प्रकाशन दो समाचार-पत्र यथा दैनिक भास्कर व दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक 5 मई, 2010 में करवाया गया है। निर्धारित समयवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

मौके पर भूमि रिक्त है। पार्थी द्वारा 50 फीट चौड़ी सड़क का प्रावधान रखा है जिसको 60 फीट किया जाकर आवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही अपेक्षित है। संयुक्त मांका रिपोर्ट अनुसार आसपास आवासीय इकाईयां चालू हैं। औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन में आपत्ति नहीं है। भूमि की तरमीम नहीं है।

समस्त तथ्यों के साथ प्रकरण समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि मौके पर उक्त क्षेत्र में कोई औद्योगिक इकाईयां संचालित हैं तथा आवेदित भूमि के सामने 50 फीट चौड़ी सड़क स्थित है। मौके पर आवेदित भूमि रिक्त है। आवेदित भूखण्ड के आसपास औद्योगिक भूखण्ड/इकाईयां संचालित हैं। समिति द्वारा विचार विमर्श कर मौके पर स्थित 50 फीट सड़क को न्यूनतम 60 फीट रखते हुए भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया गया। सड़क के मार्गाधिकार में सम्मिलित की जाने वाली भूमि का किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा। उक्त क्षेत्र में संचालित अन्य औद्योगिक इकाईयां के भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति की जानकारी की जावे।

159  
169

प्रस्ताव संख्या 21

ग्राम पाल के खासरा संख्या 292/1 में 1 बीघा 13.2 बिस्वाशी भूमि का रहवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण। आवेदक श्री भरत कुमार पारख पुत्र श्री पारसमल निवासी प्लॉट संख्या 59 नरपत नगर पाल रोड जोधपुर (प्रकरण संख्या 46/2010)

श्री भरत कुमार पारख पुत्र श्री पारसमल निवासी प्लॉट संख्या 59, नरपत नगर, पाल रोड, जोधपुर ने राजस्थान ग्राम पाल के खासरा संख्या 292/1 में 1 बीघा 13.2 बिस्वाशी भूमि का रहवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है।

भूखण्ड के सामने 50 फीट सड़क है तथा मौके पर चार दीवारी निर्मित है। आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति आमंत्रित करने हेतु सूचना का प्रकाशन दो समाचार-पत्र यथा दैनिक भास्कर व दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक 5 मई, 2010 में करवाया गया है। निर्धारित समयवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

मौके पर भूमि रिक्त है। प्रार्थी द्वारा 50 फीट चौड़ी सड़क का प्रावधान रखा है जिसको 60 फीट किया जाकर आवारीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही अपेक्षित है। संयुक्त मौका रिपोर्ट अनुसार आसपास औद्योगिक इकाईयां चालू हैं। औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन में आपत्ति नहीं है। भूमि की तस्वीर नहीं है।

समस्त तथ्यों के साथ प्रकरण समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि मौके पर उक्त क्षेत्र में कोई औद्योगिक इकाईयां संचालित है तथा आवेदित भूमि के सामने 50 फीट चौड़ी सड़क स्थित है। मौके पर आवेदित भूमि रिक्त है। आवेदित भूखण्ड के आसपास औद्योगिक भूखण्ड/इकाईयां संचालित है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर मौके पर स्थित 50 फीट सड़क को न्यूनतम 60 फीट करने हेतु भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण को निरस्त किया जाता है। उक्त क्षेत्र के मार्गाधिकार में सम्मिलित की जाने वाली भूमि का किसी प्रकार का सुआवजा देय नहीं होगा। उक्त क्षेत्र में संचालित अन्य औद्योगिक इकाईयां के भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति की जानकारी की जावे।

प्रस्ताव संख्या 22

ग्राम तनावडा के खासरा संख्या 26/2/2 की 1225 वर्ग मीटर भूमि का ग्रीन बेल्ट से वाणिज्यिक पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण। आवेदक श्री मनोहर लाल पालीवाल निवासी 188 बलदेव नगर, जोधपुर (प्रकरण संख्या 5/2010)

श्री मनोहर लाल पालीवाल ने राजस्थान ग्राम तनावडा के खासरा संख्या 26/2/2 की 1225 वर्ग मीटर भूमि का ग्रीन बेल्ट से वाणिज्यिक पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया।

आवेदित भूमि के सामने 100 फीट चौड़ी सड़क उपलब्ध है तथा मौके पर भूमि रिक्त है। आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सूचना का प्रकाशन दो समाचार-पत्र यथा दैनिक भास्कर व दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक 20 मार्च, 2010 में करवाया गया। निर्धारित समयवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

आवेदित भूमि सालावास सड़क पर स्थित है जिस का मार्गाधिकार 200 फीट रखा जाने हेतु सड़क के मध्य से 100 फीट किया जाना प्रस्तावित है।

140

170

समस्त तथ्यों के साथ प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया कि आवेदित भूमि परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित है तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त स्थल पर पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने की सहमति प्रदान की गयी है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 10 (35) नविवि/3/2010 दिनांक 16 अप्रैल, 2010 के क्रम में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि प्रकरण का मूलतः परिवहन मंत्रालय, MORTH भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश/नियम/परिपत्र इत्यादि के सबंध में भी प्रकरण का सार्वजनिक निर्माण विभाग से परीक्षण करवा लिया जावे।

प्रस्ताव संख्या 23 :: ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 21 में 2427.77 वर्ग गज भूमि का सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालय से वाणिज्यिक पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण। आवेदिका श्रीमती सुमन कंवर पत्नि श्री गोपाल सिंह व श्रीमती लक्ष्मी कंवर पत्नि श्री गोपाल सिंह (प्रकरण संख्या 19/2009)

श्रीमती सुमन कंवर पत्नि श्री गोपाल सिंह व श्रीमती लक्ष्मी कंवर पत्नि श्री गोपाल सिंह ने ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 21 में 2427.77 वर्ग गज भूमि का सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालय से वाणिज्यिक पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया।

प्रकरण में शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 10 (40) नविवि/3/2009 दिनांक 12 अप्रैल, 2010 द्वारा ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 21 का सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालय उपयोग से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

आवेदित स्थल जैसलमेर जयपुर बाईपास पर अवस्थित है। आवेदित स्थल के लंबाई 200 फीट सड़क व दाना तरफ 75 फीट वृक्षारोपण पट्टी अवस्थित है। संयुक्त मौका रिपोर्ट अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं की गयी। मौके पर इसी कॉलोनी के प्रस्तावित ले-आऊट प्लान पर भी विचार अपेक्षित है। भूखण्ड मुख्य सड़क पर स्थित होने से सड़क सीमा व नियमानुसार वृक्षारोपण पट्टी आदि की भूमि छोड़ते हुए वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित है।

आवेदित भूमि जैसलमेर- जयपुर बाईपास पर सड़क के उत्तर में स्थित है जिसके समीप एक 30 फीट चौड़ी सड़क स्थित होने से आवेदित भूमि कॉर्नर के रूप में है। उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदित भूमि के उत्तर में एक नवन निर्मित है। आवेदक द्वारा आवेदित भूमि के आकार के अनुसार, 190 फीट भूमि रखे जाने के पश्चात् निर्मित भवन के समीप सड़क का प्रावधान नहीं रहता है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर सार्वजनिक निर्माण विभाग से भूतल परिवहन मंत्रालय MORTH भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के परिपेक्ष्य में परीक्षण करवाकर एवम निर्मित भवन के समीप 30 फीट सड़क छोड़ने के पश्चात् मौके पर उपलब्ध होने वाली भूमि का आवासीय से व्यवसायिक पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 24 :: ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1877/1475, 9116/1875 में 1693.41 वर्ग गज भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक होटल प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण। आवेदक श्री महेश गहलोत पुत्र श्री आनन्दी लाल (प्रकरण संख्या 138/2008)

161

171

श्री महेश गहलोत पुत्र श्री आनन्दीलाल ने ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1877/1475, 9116/1875 में 1693.41 वर्ग गज भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक होटल प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया।

मुखण्ड के सामने 60 फीट सड़क प्रस्तावित है तथा वर्तमान में मौके पर मुखण्ड रिक्त है। आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु दो सभाचार-पत्र यथा दैनिक भास्कर के अंक दिनांक 9 जनवरी 2010 तथा दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक 28 फरवरी 2009 में सूचना प्रकाशित की गई। निर्धारित समयवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

उक्त प्रकरण समिति की गत बैठक दिनांक 7 मार्च, 2010 को प्रस्तुत किया गया जिसमें रोड प्रतिरूप तैयार करवाये जाने का निर्णय लिया गया था परन्तु सड़क प्रतिरूप अभी तक तैयार नहीं किया गया।

प्रकरण समस्त तथ्यों के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उप नगर नियोजक, प्राधिकरण को आगामी 15 दिवस में सड़क प्रतिरूप तैयार कर उसके क्रम में प्रकरण का परीक्षण करवाया जाकर समिति की आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 25 :: ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1884/1475 में 1285 वर्ग गज भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक होटल प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण। आवेदिका श्रीमती किरण पति श्री कमलेश (प्रकरण संख्या 115/2008)

श्रीमती किरण पति श्री कमलेश ने ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1884/1475 में 1285 वर्ग गज भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक होटल प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया।

मुखण्ड के सामने 60 फीट सड़क प्रस्तावित है तथा वर्तमान में मौके पर मुखण्ड रिक्त है।

उक्त प्रकरण समिति की गत बैठक दिनांक 7 मार्च, 2010 को प्रस्तुत किया गया जिसमें रोड प्रतिरूप तैयार करवाये जाने का निर्णय लिया गया था परन्तु सड़क प्रतिरूप अभी तक तैयार नहीं किया गया।

प्रकरण समस्त तथ्यों के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उप नगर नियोजक, प्राधिकरण को आगामी 15 दिवस में सड़क प्रतिरूप तैयार कर उसके क्रम में प्रकरण का परीक्षण करवाया जाकर समिति की आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 26 :: ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1882/1475 में 1285 वर्ग गज भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक होटल प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण। आवेदिका श्रीमती तीजा देवी पति श्री गोविन्द राम (प्रकरण संख्या 114/2008)

श्रीमती तीजा पति श्री गोविन्द राम ने ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1882/1475 में 1285 वर्ग गज भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक होटल प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया।



162

172

भूखण्ड के सामने 60 फीट सड़क प्रस्तावित है तथा वर्तमान में मौके पर भूखण्ड रिक्त है।

उक्त प्रकरण समिति की गत बैठक दिनांक 7 मार्च, 2010 को प्रस्तुत किया गया जिसमें रोड प्रतिरूप तैयार करवाये जाने का निर्णय लिया गया था परन्तु सड़क प्रतिरूप अभी तक तैयार नहीं किया गया।

प्रकरण समस्त तथ्यों के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उप नगर नियोजक, प्राधिकरण को आगामी 15 दिवस में सड़क प्रतिरूप तैयार कर उसके कम में प्रकरण का परीक्षण करवाया जाकर समिति की आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 27 : ग्राम पाल के खसरा संख्या 322/2 की 5 बीघा भूमि का सरकारी व अर्द्ध सरकारी हतु से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण। आवेदिका श्रीमती शान्ति देवी पति श्री ढलाराम मेघवाल (प्रकरण संख्या 115/2007)

श्रीमती शान्ति देवी पति श्री ढलाराम मेघवाल ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 322/2 की 5 बीघा भूमि का सरकारी व अर्द्ध सरकारी हतु से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किये।

आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति आर्गित करने हेतु समाचार-पत्र यथा दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक 3 अक्टूबर, 2007 में प्रकाशन करवाया गया है। निर्धारित समयायधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

उक्त प्रकरण में आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 5 बीघा का अनिश्चित होने के कारण प्रकरण भू-उपयोग राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने हेतु प्रेषित किया गया था परन्तु राज्य सरकार द्वारा जारी उपरोक्त परिपत्र दिनांक 16 अप्रैल, 2010 के अनुसार उक्त प्रकरण जिला स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक के क्षेत्राधिकार में होने के कारण राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा इस समिति के समक्ष रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया है। आवेदित भूमि पाल रोड के पश्चिम में स्थित है जिसके समीपस्थ स्थित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये गये हैं तथा मौके पर सड़क प्रतिरूप भी विकसित किया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य स्तरीय समिति द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय के कम में आवेदित भूमि का आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 28 : ग्राम नान्दडी के खसरा 18 में स्थित भूखण्ड संख्या 2 क्षेत्रफल 490.00 वर्ग गज भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण। आवेदक श्री मोहम्मद हुसेन पुत्र श्री नूर मोहम्मद (प्रकरण संख्या 43/2010)

श्री मोहम्मद हुसेन पुत्र श्री नूर मोहम्मद ने ग्राम नान्दडी के खसरा 18 में स्थित भूखण्ड संख्या 2 क्षेत्रफल 490.00 वर्ग गज भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया।

आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति आर्गित करने हेतु दो समाचार-पत्र यथा राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक 13 मई 2010 में प्रकाशन करवाया गया है। निर्धारित समयायधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

163  
173

मौके पर भूखण्ड के पीछे भाग पर निर्माण है। तथा उक्त भूखण्ड सर्किट हाऊस से बनाड रोड (जोधपुर - जयपुर मार्ग) पर स्थित है तथा सडक के मध्य से 50 फीट की दूरी पर स्थित है। बनाड रोड का मार्गाधिकार 160 फीट है।

प्रकरण शमस्त तथ्यों के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आवेदित भूमि बनाड रोड पर स्थित है। उक्त सडक का मार्गाधिकार 160 फीट रखते हुए तकनीकी स्वीकृति/ पट्टा विलेख जारी किये जाते रहे हैं। आवेदित भूमि का मास्टर प्लान में उपयोग आवासीय अंकित है। चाय विचार विमर्श सर्व सम्मति से समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सडक के मार्गाधिकार में आने वाले निर्माण को हटाने के पश्चात् नियत चौड़ाई की सुनिश्चितता के उपरान्त प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।

प्रस्ताव संख्या 29 :: ग्राम चौखा के खसरा संख्या 656 मिन में भूखण्ड संख्या 2 क्षेत्रफल 416.66 वर्ग गज भूमि का परिधि नियंत्रण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण। आवेदक श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री चुन्नी लाल (प्रकरण संख्या 40/2010)

श्री रमेशचन्द्र पुत्र श्री चुन्नीलाल ने ग्राम चौखा के खसरा संख्या 656 मिन में भूखण्ड संख्या 2 क्षेत्रफल 416.66 वर्ग गज भूमि का परिधि नियंत्रण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया।

आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति आमंत्रित करने हेतु दो समाचार-पत्र यथा दैनिक भास्कर एवं दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक 15 मई, 2010 में प्रकाशन करवाया गया है। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में ले-आऊट में उल्लिखित अवशेष भूखण्डों के भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति क्या है, इसका विवरण संकलन करे। भू-उपयोग परिवर्तन से पहले ले-आऊट किस आधार पर स्वीकृत हुआ इसकी जानकारी भी करें एवं विस्तृत विवरण के साथ प्रकरण आगामी बैठक में रखे।

प्रस्ताव संख्या 30 :: ग्राम चौखा के खसरा संख्या 656 मिन में भूखण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 366.66 वर्ग गज भूमि का परिधि नियंत्रण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण। आवेदक श्री गोपी किशन पुत्र श्री हरिदास (प्रकरण संख्या 38/2010)

श्री गोपी किशन पुत्र श्री हरिदास ने ग्राम चौखा के खसरा संख्या 656 मिन में भूखण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 366.66 वर्ग गज भूमि का परिधि नियंत्रण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया।

आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति आमंत्रित करने हेतु दो समाचार-पत्र यथा दैनिक भास्कर एवं दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक 15 मई, 2010 में प्रकाशन करवाया गया है। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में ले-आऊट में उल्लिखित अवशेष भूखण्डों के भू-उपयोग परिवर्तन की

स्थिति क्या है, इसका विवरण संकलन करें। भू-उपयोग परिवर्तन से पहले ले-आऊट किस आधार पर स्वीकृत हुआ इसकी जानकारी भी करें एवं विस्तृत विवरण के साथ प्रकरण आगामी बैठक में रखें।

164  
174

प्रस्ताव संख्या 31 :: ग्राम चौखा के खसरा संख्या 656 मिन में भूखण्ड संख्या 4 क्षेत्रफल 333.33 वर्ग गज भूमि का परिधि नियंत्रण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण। आवेदक श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री प्रेमचन्द (प्रकरण संख्या 39/2010)

श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री प्रेमचन्द ने ग्राम चौखा के खसरा संख्या 656 मिन में भूखण्ड संख्या 4 क्षेत्रफल 333.33 वर्ग गज भूमि का परिधि नियंत्रण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया।

आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति आमंत्रित करने हेतु दो समाचार पत्र यथा दैनिक भास्कर एवं दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक 15 मई 2010 में प्रकाशन करवाया गया है। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। मोक पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में ले-आऊट में उल्लेखित अवशेष भूखण्डों के भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति क्या है, इसका विवरण संकलन करें। भू-उपयोग परिवर्तन से पहले ले-आऊट किस आधार पर स्वीकृत हुआ इसकी जानकारी भी करें एवं विस्तृत विवरण के साथ प्रकरण आगामी बैठक में रखें।

प्रस्ताव संख्या 32 :: ग्राम चौखा के खसरा संख्या 656 मिन में भूखण्ड संख्या 5 क्षेत्रफल 333.33 वर्ग गज भूमि का परिधि नियंत्रण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण। आवेदक श्री मणेश कुमार पालीवाल पुत्र श्री चुन्नीलाल (प्रकरण संख्या 37/2010)

श्री मणेश कुमार पालीवाल पुत्र स्व. श्री चुन्नीलाल ने ग्राम चौखा के खसरा संख्या 656 मिन में भूखण्ड संख्या 5 क्षेत्रफल 333.33 वर्ग गज भूमि का परिधि नियंत्रण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया।

आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति आमंत्रित करने हेतु दो समाचार-पत्र यथा दैनिक भास्कर एवं दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक 15 मई, 2010 में प्रकाशन करवाया गया है। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। मोक पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में ले-आऊट में उल्लेखित अवशेष भूखण्डों के भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति क्या है, इसका विवरण संकलन करें। भू-उपयोग परिवर्तन से पहले ले-आऊट किस आधार पर स्वीकृत हुआ इसकी जानकारी भी करें एवं विस्तृत विवरण के साथ प्रकरण आगामी बैठक में रखें।

165  
175

प्रस्ताव संख्या 33

ग्राम चौखा के खसरा संख्या 656 मिन में भूखण्ड संख्या 3 क्षेत्रफल 416.66 वर्ग गज भूमि का परिधि नियंत्रण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण। आवेदिका श्रीमती ज्ञानी देवी पत्नि श्री गोरधन राम (प्रकरण संख्या 42/2010)

श्रीमती ज्ञानी देवी पत्नि श्री गोरधन राम ने ग्राम चौखा के खसरा संख्या 656 मिन में भूखण्ड संख्या 3 क्षेत्रफल 416.66 वर्ग गज भूमि का परिधि नियंत्रण पट्टी से आवासीय-प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया।

आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति आमंत्रित करने हेतु दो समाचार-पत्र यथा दैनिक भास्कर एवं दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक 15 मई, 2010 में प्रकाशन करवाया गया है। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में ले-आऊट में उल्लेखित अवशेष भूखण्डों के भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति क्या है, इसका विवरण संकलन करें। भू-उपयोग परिवर्तन से पहले ले-आऊट किस आधार पर स्वीकृत हुआ इसकी जानकारी भी करें एवं विस्तृत विवरण के साथ प्रकरण आगामी बैठक में रखें।

प्रस्ताव संख्या 34

ग्राम नान्दडी के खसरा संख्या 8 में भूखण्ड संख्या 6 क्षेत्रफल 486.66 वर्ग गज भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण। आवेदक श्री दर्शनसिंह पुत्र श्री जवाहर सिंह (प्रकरण संख्या 95/2009)

श्री दर्शनसिंह पुत्र श्री जवाहर सिंह ने ग्राम नान्दडी के खसरा संख्या 8 में भूखण्ड संख्या 6 क्षेत्रफल 486.66 वर्ग गज भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया।

आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति आमंत्रित करने हेतु दो समाचार-पत्र यथा दैनिक भास्कर एवं दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक 21 मार्च, 2010 में प्रकाशन करवाया गया है। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

उक्त भूखण्ड ग्राम नान्दडी के खसरा संख्या 8 पर स्थित है। जिसके आगे सड़क मास्टर प्लान 2023 अनुसार सर्किट हाऊस से बनाड चौराहे तक 160 फीट निर्धारित कर रखी है। जिसके मध्य से 80-80 फीट निर्धारित की गयी है। मौके पर मध्य से दूरी 64 फीट ही उपलब्ध होती है। मौके पर प्रार्थी द्वारा भवन का निर्माण किया हुआ है।

प्रकरण समस्त तथ्यों के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा इस प्रकरण के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। आवेदित भूमि बनाड सड़क पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 160 फीट रखा जाकर सड़क के मध्य से 80 फीट भूमि छोड़ते हुए तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती रही है। आवेदित भूखण्ड सड़क के मार्गाधिकार में स्थित है तथा मकान निर्मित किया हुआ है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर सड़क के मार्गाधिकार में आने वाली भूमि में से भवन हटाये जाने हेतु प्रार्थी को सूचित किया जावे। उक्त कार्यवाही करने के पश्चात् प्रकरण समस्त तथ्यों के साथ समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 35

ग्राम नान्दडा खुर्द के खसरा संख्या 109/1, 109/2 में 6 बीघा भूमि का परिधि नियंत्रण पट्टी से शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण। आवेदक ऑस्टीन एज्यूकेशनल सोसायटी (प्रकरण संख्या 20/2009)

166  
176

ऑस्टीन एज्यूकेशन सोसायटी ने ग्राम नान्दडा खुर्द के खसरा संख्या 109/1, 109/2 में 6 बीघा भूमि का परिधि नियंत्रण पट्टी से शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया।

आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में एक समाचार-पत्र यथा दैनिक भास्कर के अंक दिनांक 16 सितम्बर, 2009 में आपत्ति आमंत्रित करने हेतु सूचना का प्रकाशन करवाया गया। मौके पर भूमि रिक्त है। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

आवेदित स्थल पर जाने के लिए सड़क विस्तार योजना में से 20 फीट से 40 फीट की सड़क निकलती है। भूखण्ड के चारों ओर चार दीवारी निर्मित है तथा एक कमरा निर्मित है। आसपास के क्षेत्र की भौतिक परिस्थितियों के मद्देनजर मुख्य से सड़क से आवेदित स्थल तक 60 फीट चौड़ी सड़क की सुनिश्चितता की शर्त पर भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंका की जा सकती है।

प्रकरण समस्त तथ्यों के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति ने विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि आवेदित भूमि पर शिक्षण संस्थान प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 10 (35) नवि.वि./3/2010 दिनांक 16 अप्रैल, 2010 के अनुसार ऐसी संस्था हेतु न्यूनतम सड़क 60 फीट होना वांछनीय है। अतः प्रार्थी से 60 फीट चौड़ी सड़क किस प्रकार प्रावधानित की जा सकेगी, के संबंध में विस्तृत जानकारी मध्य दस्तावेज प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया जाकर प्रकरण आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 36

ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा संख्या 130 में प्लॉट संख्या 342.80 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण। आवेदक श्री डॉ. महेन्द्र प्रताप पालीवाल पुत्र श्री भेंवर लाल पालीवाल (प्रकरण संख्या 44/2010)

डॉ. महेन्द्र प्रताप पालीवाल पुत्र श्री भेंवर लाल पालीवाल निवासी प्लॉट संख्या 248, मसूरिया सेक्सन-7 विस्तार, न्यू पॉवर हाऊस रोड, जोधपुर ने ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा संख्या 130 में प्लॉट संख्या 342.80 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया।

भूखण्ड मौके पर रिक्त है तथा मुख्य पाल रोड (200 फीट चौड़ाई) पर अवस्थित है।

प्रकरण में उप नगर नियोजक एवं प्रभारी अधिकारी, भू-उपयोग परिवर्तन शाखा की टिप्पणी यथा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 16.4.2010 के पैरा संख्या 5.5 अनुसार लैण्ड यूज चेंज की कार्यवाही नियमानुसार करने पर विचार किया जा सकता है। अंकित है।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति ने पत्रावली का अध्ययन कर यह निर्णय लिया कि प्रकरण में किसी प्रकार की रिपोर्ट आदि प्राप्त नहीं हुई है। अतः

संबंधित समस्त शाखाओं से रिपोर्ट लेते हुए तमाम प्रावदित भू-उपयोग परिश्रुतन के सक्थ मे नियमानुसार दो समाचार पत्रों मे सूचना का प्रकाशन करन के परचात प्रकरण समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

167  
177

बैठक सध-यवादि समाप्त हुई।

27

सचिव  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर

क्रमांक/बैठक/2010/596-623

दिनांक : 11-6-2010

प्रतिलिपि - 11-6-2010

01. प्रमख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग राजस्थान, जोधपुर
02. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
03. जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जोधपुर
04. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
05. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
06. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
07. प्रबन्धक, निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
08. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड
09. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम या उनके प्रतिनिधि
10. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
11. निदेशक, अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. निदेशक, नगर निरोन्मन, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. निदेशक, वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. निदेशक, विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. निजी सचिव (आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- 16.

उपरोक्त निदेशक जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर/वि.स.स. (स.वि.स.स.)

27

सचिव  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर

11-6-2010

दिनांक 21 मई, 2010 को श्री रवि जैन, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति (भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों पर चर्चा करने हेतु) की बैठक में उपास्थित अधिकारियों की सूची

1. श्री मोहमलाल, अति कलक्टर-प्रथम, जोधपुर प्रतिनिधि जिला कलक्टर, जोधपुर
2. श्री प्रदीप मोहन शर्मा, अति पुलिस अधीक्षक (यातायात), जोधपुर - प्रतिनिधि जिला पुलिस अधीक्षक, जोधपुर
3. श्री जी.एल. शर्मा, निदेशक-अभियांत्रिक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
4. श्री अंजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
5. श्री के.सी. गोदानी, अधीक्षण अभियन्ता-शहर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर - प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
6. श्री डी.डी. भाट्टी, तकनीकी सहायक अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर प्रतिनिधि अति, मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
7. श्री पी.आर. बेनीवाल, उप नगर नियोजक, नगर निगम, जोधपुर - प्रतिनिधि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर
8. श्री पी.डी. पुरोहित, रोडवेज चीफ मैनेजर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
9. श्री वी.के. जैन, रीजनल मैनेजर, रीको, जोधपुर
10. श्री पी.सी. गौड, पर्यटन अधिकारी, पर्यटन विभाग, जोधपुर
11. श्री सुरेश कुमार नवल, उपायुक्त-पूर्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री मगन लाल योगी, उपायुक्त-पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्री के.के. माथुर, अधिशाषी अभियन्ता-पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्री अरुण मेहता, अधिशाषी अभियन्ता-पूर्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. श्री मन्मथ चन्द भाट्टी, अधिशाषी अभियन्ता-दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. श्री निरंजन माथुर, अधिशाषी अभियन्ता-दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. श्री रोशनसिंह चौहान, उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. श्री विरेन्द्र सिंह परिहार, सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर